

डेटा के लिये एक सामाजिक अनुबंध

यह एडटोरियल 26/03/2022 को 'द हिंदू' में प्रकाशित "Forging a Social Contract for Data" लेख पर आधारित है। इसमें 'ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी' के विज़िन को साकार करने हेतु डेटा के लिये एक नए सामाजिक अनुबंध की आवश्यकता के बारे में चर्चा की गई है।

संदर्भ

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) की 'ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी, 2022 सरकारी मशीनरी द्वारा एकत्र किये जाते बड़े पैमाने के डेटा के बेहतर उपयोग को प्रोत्साहित करने हेतु पूरव के प्रयासों की निरितरता है।

हालाँकि एक व्यापक डेटा सुरक्षा ढाँचे के माध्यम से प्रदान किये गए प्रयाप्त सार्वजनिक सुरक्षा उपायों के अभाव में यह नीतिकीर्ति दोषों से ग्रस्त है।

डेटा के लिये एक नया सामाजिक अनुबंध (New Social Contract for Data) समय की आवश्यकता है। चूँकि डेटा के सामाजिक हति (Social Commons) अप्रयोज्य हति (Inappropriate Commons) हैं जो सभी नागरिकों से संबंधित हैं, सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि डेटा के उपयोग को केवल सार्वजनिक भलाई के लिये बढ़ावा दिया जाए और डेटा शासन के लिये जवाबदेह संस्थागत तंत्र के माध्यम से डेटा मूल्य का लोकतंत्रीकरण सुनिश्चित किया जाए।

'ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसबिलिटी एंड यूज़ पॉलिसी'

- **उद्देश्य:** मसौदा नीतिका उद्देश्य सूचिति निरियन, सार्वजनिक सेवाओं के नागरिक-केंद्रति वितरण और अरथव्यवस्था-व्यापी डिजिटल नवाचार हेतु सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा का उपयोग करने के लिये एक सुदृढ़ आधार प्रदान करना है।
 - यह शासन और आर्थिक विकास के लिये डेटा-आधारित बुद्धिमत्ता का उपयोग करने की इच्छा रखता है।
- **बाधाओं को नियंत्रित करना:** यह वभिन्न ऐतिहासिक बाधाओं को दूर करते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की गुणवत्तापूरण गैर-व्यक्तिगत डेटा (Non-Personal Data- NPD) तक पहुँच और उपयोग को अधिकितम करने का प्रयास करता है। इनमें से कुछ प्रमुख बाधाएँ हैं:
 - OGD (Open Government Data) प्लेटफॉर्म पर धीमी प्रगति
 - वभिगीय साइलो में डेटा सेट का विखिन्दन
 - डेटा गुपनीयता उपकरण ('Data Anonymization Tools') का अभाव
 - डेटा प्रबंधन मॉडल (Data Stewardship Models) के विकास पर अप्रयाप्त ध्यान
 - डेटा-साझाकरण का समर्थन करने के लिये डेटा गुणवत्ता मानकों, लाइसेंसों और मूल्यांकन ढाँचे का अभाव
- **आवश्यकता:** ऐसी नीतियाँ कीर्ति देशों में मौजूद हैं और ऐसे डेटा का कुशल उपयोग सेवाओं को बेहतर बनाने में दीर्घकालिक योगदान कर सकता है।
 - अकादमिक क्षेत्रों और अन्य हतिधारकों की मांगों के बावजूद इस तरह के डेटा की बड़ी मात्रा अप्रयुक्त पड़ी हुई है।

वफिलताएँ

- **अस्पष्ट तंत्र:** GovTech 3.0 दृष्टिकोण (सार्वजनिक क्षेत्र डेटा के मूलयवान संसाधन को अनलॉक करना) राष्ट्रीय डेटा साझाकरण और अभिम्यता नीति (National Data Sharing and Accessibility Policy- NDSAP), 2012 के OGD दृष्टिकोण को उन्नत करता है।
 - हालाँकि यह डेटा-समर्थन सामाजिक परिवर्तन के अपने दृष्टिकोण को साकार करने के लिये मानदंडों, नियमों और तंत्रों के संबंध में अधिक विचार नहीं करता।
- **डेटा का दुरुपयोग/गोपनीयता संबंधी चतिएँ:** नीतिका मुख्य उद्देश्य अधिकाधिक नागरिक जागरूकता, भागीदारी और खुले डेटा के साथ संलग्नता सुनिश्चिति करना है।
 - यह पारदर्शिता-जवाबदेही के विचारों के साथ गोपनीयता/डेटा के दुरुपयोग के जोखिम को संतुलित करने के लिये नैतिक एवं प्रक्रियात्मक दुविधाओं को प्रकट करता है।
 - इस प्रकार, सार्वजनिक क्षेत्र में संवेदनशील व्यक्तिगत जानकारी की उपलब्धता पर प्रतिबंध रखने और भारत के सूचना का अधिकार (RTI) अधनियम के बीच समन्वय लाने का NDSAP का अधूरा कार्य अपनी राह भटक गया है।

- **गुमनामी (Anonymization)** के पालन के लिये अपर्याप्त उपाय: मसौदा नीति रेखांकति करता है कि स्वीकृत डेटा इन्वेंट्री को सरकार-व्यापी, खोज-योग्य डेटाबेस में केंद्रीय नियंत्रण के अधीन रखा जाएगा।
 - लेकिन, भले ही मसौदा नीति में गुमनामी मानकों के पालन की परकिल्पना की गई है परंतु यह गोपनीयता जोखिमों के विरुद्ध प्रयाप्त सुरक्षा नहीं है।
 - यहाँ तक कि गुमनाम नागरिक डेटा सेट (जो अब व्यक्तिगत डेटा नहीं है) के मामले में भी ‘डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग’ समूह गोपनीयता के लिये गंभीर जोखिम पैदा कर सकता है।
 - यह देखते हुए कि भारत में कोई व्यक्तिगत डेटा संरक्षण कानून नहीं है, मसौदा नीति के माध्यम से प्रस्तावित ‘अभसिरण डेटा प्रसंस्करण’ वशिष्ठ रूप से समस्याजनक हो जाता है।
- **ट्रस्टीशपि प्रतिमान में लापरवाही:** गैर-व्यक्तिगत डेटा शासन पर MeitY की वशिष्टज्ञ समतिकी वर्ष 2020 की रपोर्ट की अनुशंसाओं (जहाँ ट्रस्टीशपि प्रतिमान की ओर आगे बढ़ने की सलाह दी गई थी) के बावजूद मसौदा नीतिसिरकारी एजेंसियों को उनके द्वारा एकत्र और संकलन किये गए डेटा सेट के ‘स्वामी’ के रूप में देखने के NDSAP प्रतिमान का पालन करती है।
 - डेटा ट्रस्टीशपि ढाँचे की कमी सरकारी एजेंसियों को डेटा लाइसेंसिंग की शर्तों को नियंत्रित करने के लिये एक पक्षीय वशिष्ठाधिकार सौंप देती है।
 - उन्हें सार्वजनिक परामर्श और नागरिक जवाबदेही के लिये कसी भी तंत्र के बनि अपने डेटा होल्डिंग्स को ‘खुले, प्रतिबिंधित या गैर-साझा करने योग्य’ में वर्गीकृत करने का भी अधिकार प्राप्त है।

आगे की राह

- **ट्रस्टीशपि दृष्टिकोण:** ट्रस्टीशपि-आधारित दृष्टिकोण को अपनाते हुए प्रस्तावित मसौदा नीतिको डेटा गुणवत्ता पर ध्यान देना चाहयि और यह सुनिश्चिति करना चाहयि कि लाइसेंसिंग फ्रेमवरक और कोई भी संबद्ध लागत गैर-व्यावसायिक उद्देश्यों के लिये डेटा अभिगम्यता में बाधा उत्पन्न न करें।
 - नीतिको सार्वजनिक क्षेत्र के डेटा को बड़ी फर्मों, वशिष्ठ रूप से अंतर्राष्ट्रीय ‘बगि टेक’, द्वारा आरथकि नवाचार के लिये नियंत्रण में लिये जाने पर रोक रखने पर भी ध्यान केंद्रित करना चाहयि।
- **‘कॉमन डेटा स्पेस’ और स्वैच्छकि डेटा साझाकरण:** वरतमान संदर्भ में, जहाँ सबसे मूलयवान डेटा संसाधन नजी क्षेत्र के पास है, नीतिनिर्माताओं के लिये यह तेज़ी से स्पष्ट होता जा रहा है कि सामाजिकि-आरथकि नवाचार राज्य की इस क्षमता पर नियंत्रित करता है कि वह सार्वजनिक और नजी क्षेत्र दोनों के अभिकर्ताओं से व्यापक डेटा-साझाकरण को उत्प्रेरित कर सके।
 - उदाहरण के लिये, यूरोपीय संघ ने सवास्थ्य, ऊर्जा और कृषि जैसे वशिष्ट क्षेत्रों में स्वैच्छकि डेटा-साझाकरण को प्रोत्साहित करने के लिये सामान्य, अंतर-संचालन योग्य डेटा स्पेस के नियमाण पर ध्यान केंद्रित किया है।
 - ये कॉमन डेटा स्पेस व्यक्तिगत डेटा सुरक्षा के पूरण अनुपालन के साथ सुरक्षित और वशिष्ठास-आधारित पहुँच एवं उपयोग के लिये शासन ढाँचा और अद्यतन उपभोक्ता संरक्षण एवं प्रतिस्परद्धा कानून प्रदान करते हैं।
- **वशिष्टज्ञ समतिरपोर्ट की अनुशंसाएँ:** गैर-व्यक्तिगत डेटा शासन पर रपोर्ट (2020) ने सार्वजनिक आपात स्थितियों जैसे अपवादों में अनविार्य सार्वजनिक पहुँच के मामलों में उच्च मूल्य वाले डेटा सेट के लिये ‘डेटा स्टीवर्डशप मॉडल’ का प्रस्ताव दिया है।
 - यह मॉडल एक गैर-व्यक्तिगत डेटा प्राधिकरण (NPDA) के नियमाण का प्रस्ताव करता है, जिससे कोई सरकारी या गैर-लाभकारी संगठन, वशिष्ट सार्वजनिक हति के उद्देश्य को प्रदर्शित करते हुए, एक क्षेत्र-वशिष्ट उच्च-मूल्य डेटा सेट नियमाण का अनुरोध कर सकता है।
 - उच्च-मूल्य वाले डेटासेट को एक सामाजिकि ज्ञान हति, जिस पर नजी डेटा संग्रहकों का कोई वास्तविक दावा नहीं हो, के रूप में देखने का क्रांतिकारी विचार सार्वजनिक उपयोग और नजी नवाचार के बीच संतुलन के लिये बेहद महत्वपूरण है।

अभ्यास प्रश्न: “सरकार को यह सुनिश्चिति करना चाहयि कि डेटा के उपयोग को केवल जनता की भलाई के लिये बढ़ावा दिया जाएगा।” ड्राफ्ट इंडिया डेटा एक्सेसबिलिटी एंड यूज पॉलिसी, 2022 के संदर्भ में इस कथन का वशिष्ठेषण कीजिये।